भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 652
गुरूवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)को दिया जाने वाला उत्तर

उलुन्दुरपेट में अप्रयुक्त हवाई पट्टी

652. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उलुन्दुरपेट, विलुपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अप्रयुक्त हवाई पट्टी को उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त हवाई पट्टी पर विमानपत्तन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार उक्त हवाई पट्टी को कार्यशील विमानपत्तन में परिवर्तित करने के लिए अवसंरचनात्मक और संभारतंत्रीय आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने की योजना बना रही है;

(घ) क्या सरकार उक्त हवाई पट्टी पर विमानपत्तन की स्थापना से विलुपुरम निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था को होने वाले संभावित लाभों का पूर्वानुमान लगाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उलुन्दुरपेट हवाई पट्टी को उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है और यदि हां, तो उक्त अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ड.): तमिलनाडु में उलुंदुरपेट हवाई पट्टी क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के दस्तावेजों में असेवित हवाई अड्डों की सूची में उपलब्ध है।

आरसीएस एक मांग-आधारित सतत योजना है, जहां अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के दौर आयोजित किए जाते हैं और एयरलाइन ऑपरेटर किसी विशिष्ट मार्ग पर प्रचालन की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं और बोलियां प्रस्तुत करते हैं। असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन वैध बोली के माध्यम से इसकी पहचान करने और चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को अवार्ड किए जाने के पश्चात किया जाता है।

इस योजना के तहत अब तक बोली प्रक्रिया के पांच दौर पूरे हो चुके हैं। हालांकि, उलुंदुरपेट हवाई पट्टी को जोड़ने वाली कोई वैध बोली अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, उलुंदुरपेट में हवाई पट्टी को उड़ान के तहत पुनरुद्धार के लिए शामिल नहीं किया गया है।

*****